



Department of Revenue & Disaster Management  
(Govt. of Haryana)  
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

---

**WEBSITE**  
**GOVERNMENT OF HARYANA**  
**Revenue & Disaster Management Department, Haryana**  
**Appointment on Contract Basis**

**WALK-IN-INTERVIEW**

The following posts on contract basis are required to be engaged in Revenue & Disaster Management Department, Haryana for Asset (Properties) Management Cell (Govt. Surplus Land) on contract basis on fixed remuneration from the retired officials/officers of the Revenue Department of Haryana:-

**1. Distirct Revenue Officer**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as Tehsildar and DRO, out of which atleast 3 years as DRO.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 45,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**2. Tehsildar**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 15 years service as Tehsildar/ Naib Tehsildar, out of which 5 years as Tehsildar in Revenue Department and must be a graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 40,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**3. Legal Officer**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as DDA/ADA, out of which atleast 5 years as DDA preferally in Revenue Department.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 30,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**4. Naib Tehsildar**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as Naib Tehsildar in Revenue Department and must be a graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 30,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**5. Kanungo**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as Field Kanungo in Revenue Department.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 25,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**6. Superintendent**

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as Superintendent in Revenue Department and must be graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 30,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

**7. Assistant**

Number of post: 02(Two)

Qualification: Atleast 05 years service as Assistant in Revenue Department and must be a graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 25,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

Details of essential qualifications, experience, remuneration and other detailed instructions/conditions can be downloaded from the website [www.revenueharyana.gov.in](http://www.revenueharyana.gov.in). Eligible applicants shall report for walk-in-interview **on 05.03.2018 at 10:00 a.m.** in the O/o Additional Chief Secretary and Financial Commissioner, Revenue, Govt. of Haryana, Room No.211, 2<sup>nd</sup> Floor, New Haryana Secretariat, Sector-17, Chandigarh, alongwith their application form having detailed bio-data about service & experience, affixing two passport size photographs with proof of educational qualifications, date of birth and their self attested photocopies.

Sd/-

Superintendent Admn-I

Additional Chief Secretary & Financial Commissioner to Govt.,  
Haryana, Revenue & Disaster Management Department.



Department of Revenue & Disaster Management  
(Govt. of Haryana)  
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

वेबसाइट

हरियाणा सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा

अनुबंध आधार पर नियुक्ति

प्रत्यक्ष इंटरव्यू

अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा में संपत्ति (प्रॉपर्टी) प्रबंधन सैल (सरकारी अधिशेष भूमि) के लिए अनुबंध आधार पर राजस्व विभाग, हरियाणा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों से निश्चित पारिश्रमिक पर लगाया जाना वांछित है:-

**1. जिला राजस्व अधिकारी**

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा, जिसमें से कम से कम 3 साल जिला राजस्व अधिकारी के रूप में।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक 45,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

**2. तहसीलदार**

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: तहसीलदार/उप तहसीलदार के रूप में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें राजस्व विभाग में बतौर तहसीलदार 5 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक: 40,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

**3. लीगल अधिकारी**

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: बतौर उप जिला न्यायवादी/सहायक जिला न्यायवादी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम बतौर उप जिला न्यायवादी 5 वर्ष का अनुभव, राजस्व विभाग के अनुभव वाले अधिकारी को वरीयता दी जायेगी।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक 30,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. **नायब तहसीलदार**  
पदों की संख्या: 01 (एक)  
योग्यता: राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के रूप में 10 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।  
कार्यकाल : प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।  
पारिश्रमिक: 30,000 /—रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. **कानूनगो**  
पदों की संख्या: 01 (एक)  
योग्यता: राजस्व विभाग में फील्ड कानूनगों के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।  
कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।  
पारिश्रमिक: 25,000 /—रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. **अधीक्षक**  
पदों की संख्या: 01 (एक)  
योग्यता: राजस्व विभाग में अधीक्षक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।  
कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।  
पारिश्रमिक: 30,000 /—रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।
7. **सहायक**  
पदों की संख्या: 02 (दो)  
योग्यता: राजस्व विभाग में सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।  
कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।  
पारिश्रमिक: 25,000 /—रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

आवश्यक योग्यता, अनुभव, पारिश्रमिक और अन्य विस्तृत निर्देश/शर्तों का विवरण वेबसाइट [www.revenueharyana.gov.in](http://www.revenueharyana.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। योग्य आवेदक **दिनांक 05.03.2018 को प्रातः 10.00 बजे** अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार, कक्ष नं० 211, द्वितीय मंजिल, न्यू सचिवालय हरियाणा, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके आवेदन पत्र के साथ सेवा और अनुभव के बारे में विस्तृत बायाडाटा, दो पासपोर्ट साईज की फोटोग्राफस, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण, जन्म तिथि और उनके स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी सहित रिपोर्ट करें।

Sd/-

अधीक्षक प्रशासन-1

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार,  
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।